

## ग्रामीण सामाजिक संरचना पर सूक्ष्म वित्त योजनाओं का आर्थिक व सामाजिक प्रभावका अध्ययन

**ASMA ANSARI**

Research Scholar, Sunrise University, Alwar

**DR. ASHOK KUMAR YADAV**

Associate Professor, Sunrise University, Alwar

### सारांश

सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्षतः सम्बन्ध सिर्फ सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तनोसे है। इसके विपरीत सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न स्वरूपां—ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानन, प्रथा, धर्म आदि में हाने वाले परिवर्तन से जोड़ा है। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी समाज की संरचना व प्रकार्यों में परिवर्तन का देखा जा सकता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज की परम्परागत मान्यताआ, आदर्शों में हुए परिवर्तनको समझा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की गति सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण यान्त्रिक और भौतिक संसाधना, से व्यक्ति तेजी से जुड़ता है, वहीं सांस्कृतिक परिवर्तन परम्परागत आदर्श मूल्य के कारण परिवर्तन का शनैः शनैः स्वीकार करते हैं। यहा सामाजिक परिवर्तन वर्तमान स्थितियों से जुड़ा है ता वहीं सांस्कृतिक परिवर्तन अतीत से। यद्यपि शोधार्थी यह कह सकता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र वृहद है, सामाजिक परिवर्तन इसमें समाहित होता है। दोनों ही परस्पर घनिष्ठ सम्बन्धित होत है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होत हैं। शोधार्थी यहाँ बताना चाहेगा कि सामाजिक परिवर्तन मुख्यतः भौतिक संसाधन व प्रौद्योगिक प्रोन्नति पर ज्यादा निर्भर करता है जा व्यक्तियों के मध्य परस्पर अन्तःक्रिया के द्वारा पदार्थ जनित सम्बन्धा को तीव्रता से परिवर्तित कर दता है। जब समाज में नए परिवर्तन प्रारंभ होते है तब लोग उनका विरोध करते हैं। तात्पर्य यह है, कि जितना तीव्र परिवर्तन एक अविष्कार के द्वारा सामाजिक मान्यताआ में संभावित होगा उतनी ही सजगता व ताकत से व्यक्ति



उसका प्रतिराध करेगा तभी वह सरल से नए भौतिकव जटिल परिवर्तना की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति के भौतिकस्वरूप में हुए परिवर्तन को ज्यादा दर्शाता है।

**मुख्यशब्द**—ग्रामीण सामाजिक संरचना, सूक्ष्म वित्त योजना, आर्थिक व सामाजिक प्रभाव, समाज की परम्परा, यान्त्रिक और भौतिक संसाधना


### प्रस्तावना

वर्ष 2006 का नोबल शांति पुरस्कार/सम्मान प्राप्त प्रो. मो. यूनुस ने अपने कार्य से यहसाबित कर दिया है कि सूक्ष्म वित्त योजनाओं से हितग्राहियों के परिवारों में आर्थिक एवंसामाजिक पक्ष पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इन योजनाओं से पभावित पक्षों से प्राप्त आँकड़ा, तथ्यों के वर्गीकरण, विप्लेषण से भी इस बात की पुष्टि होती है। प्रो . मो. यूनुस को मनुष्यता केपक्ष में किए गए इस महान कार्य के लिए ही नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रो. यूनुस कहते है कि “मेरी रणनीति थी कि बैंक जो भी करते थे, मैं उसके विपरीत करताथा। अगर बैंक समृद्ध व्यक्तियों को ऋण देते थे, तो मैं निर्धनों को ऋण देता था। अगर बैंकपुरुषों को ऋण देते थे, तो मैं स्त्रियों को ऋण देता था। अगर बैंक बड़े ऋण देते थे, तो मैंछोटे ऋण देता था। अगर बैंकों को ऋण के लिए प्रतिभूति की आवश्यकता थी, तो मेरे दिए गएऋण प्रतिभूति मुक्त होते थे। अगर बैंकों को ऋण देने के लिए अनेक दस्तावेजों कीआवश्यकता होती थी, तो मेरे ऋण दस्तावेज अनपढ़ के लिए भी सुविधाजनक थे। अगरग्रामवासियों को ऋण लेने के लिए बैंक जाना पड़ता था, तो मेरा बैंक ग्रामवासियों के द्वार परऋण वितरित करता था।”जाहिर है सूक्ष्म वित्त योजना आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए जीवन दायनीयोजना है। आर्थिक रूप से पिछड़ों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गतथा सामान्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इसे तालिका द्वारा यूँ समझा जा सकता है, जिसमें जाति के साथ हितग्राहियों की संख्या व उसका प्रतिशत दर्शाया गया है—

### तालिका क्रमांक – 1 हितग्राहियों का जातिगत स्तर

क्रमांक	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जनजाति	375	68.20
2.	अनुसूचित जाति	35	06.40
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	118	21.40
4.	सामान्य	22	04.00
	<b>योग</b>	<b>550</b>	<b>100.00</b>

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कुल न्यादर्शा में 68.20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग, 06.40 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग, 21.40 प्रतिशत 04.40 प्रतिशत सामान्य वर्ग के है। इससे स्पष्ट होता है कि इंदौर जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन लोग सूक्ष्म वित्त योजनाओं से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है।



ग्राफ क्रमांक 1 हितग्राहियों का जातिगत स्तर


## हितग्राहियों का व्यवसाय :

व्यवसाय का अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है, जिनका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन या क्रय-विक्रय या सेवाओं की पूर्ति से हैं दूसरे शब्दों में, व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है, जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। वे क्रियाएँ अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय-विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होती है। अध्ययन क्षेत्र के चयनित हितग्राहियों के व्यावसायिक संरचना के संबंध में जो तथ्य हाथ लगे उन्हें तालिका 2 में दर्शाया गया है।

### तालिका क्रमांक – 2 हितग्राहियों का व्यवसाय

क्रमांक	हितग्राहियों का व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	258	46.90
2.	मजदूरी	225	40.90
3.	व्यापार	67	12.20
4.	अन्य	00	00.00
	<b>योग</b>	<b>550</b>	<b>100.00</b>

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कुल न्यादर्शा में 46.90 प्रतिशत हितग्राही का कृषि व्यवसाय में संलग्न है, 40.90 प्रतिशत हितग्राही मजदूरी करते हैं, तथा सबसे कम 12.20 प्रतिशत हितग्राही छोटा व्यापार करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक हितग्राही कृषि कार्य करते हैं, जबकि सबसे कम हितग्राही व्यापार में कार्यरत हैं। निष्कर्ष यह है कि शासकीय सूक्ष्म वित्त योजनाओं का अधिक लाभ कृषि व्यवसाय में कार्यरत हितग्राहियों का मिला है।




ग्राफ क्रमांक 2 हितग्राहियों का व्यवसाय

**सूक्ष्म वित्त :** के अंतर्गत सूक्ष्म बचत, ऋण, बीमा व अन्य वित्तीय सुविधाएँ आती हैं ये सेवाएँ निर्धनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है। इस अध्ययन में सूक्ष्म वित्त की पहुँच और इंदौर जिले के गरीबों में इसकी उपयोगिता का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में देश में एक दर्जन से भी अधिक गरीबी उन्मूलन सरकारी योजनाएँ और अनेक अन्य कार्यक्रम हैं। एस.जी.एस.वाई/एन.आर.एल.एम के द्वारा स्वयं सहायता समूहों का उपयोग कर गरीबों को सशक्त बनाने व मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। सूक्ष्म वित्त योजनाओं से संतुष्टि संबंधी में चयनित हितग्राहियों द्वारा जो अभिमत प्रकट किया है, उसे तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक – 3 सूक्ष्म वित्त योजनाओं से संतुष्टि

क्रमांक	योजनाओं से संतुष्ट	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	512	93.10
2.	नहीं	038	06.90
	<b>योग</b>	<b>550</b>	<b>100.00</b>

उपर्युक्त तालिका का विप्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 93.10 प्रतिशत हितग्राहियों का मानना है कि सूक्ष्म वित्त योजनाओं से संतुष्ट है, जबकि 06.90 प्रतिशत हितग्राहियों का मानना है कि सूक्ष्म वित्त योजनाओं से संतुष्ट नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास में सूक्ष्म वित्त योजनाओं का योगदान है।



ग्राफ क्रमांक 3 सूक्ष्म वित्त योजनाओं से संतुष्टी

आसान हुई ऋण प्रक्रिया:

स्वयं सहायता समूह गठन के बाद जैसे ही समूह के पास सदस्यों की बचत राशि उपलब्ध होती है, यह राशि समूह के सदस्यों के लिए लेन-देन के प्रयोग में लाई जाती है। प्रायः यह

राशि समूह के सदस्य अपने छोटे-छोटे हाथ खर्च/उपभोग अथवा घरेलू कामों के लिए उठाते हैं।


स्वयं सहायता समूह में समूह के समस्त सदस्यों द्वारा चर्चा का आपसी सहमति से नियमावली के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है। स्वयं सहायता समूह को करीब के बैंक से जोड़कर समूह का बचत खाता खुलवाते हैं, सूक्ष्म वित्त योजनाओं के सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद बैंक इनकी कैश क्रेडिट लिमिट या ऋण साख तय कर देते हैं, फिर समूह उस धन से आपस में कर्ज बाँटता लें

बैंक को किस्त अदा करने की जिम्मेदारी समूह की होती है। ऋण की प्रक्रिया आसान होना, ऋण समय पर उपलब्ध हो जाना तथा आवश्यक धनराशि की प्रति सदस्यों में सामूहिक ऋण व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करता है। बैंक शाखा प्रबंधक समूह के निर्णय और उसकी भावना का आदर करते हुए सदस्यों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराते हैं। तालिका 4 में आसान हुई ऋण प्रक्रिया के संदर्भ में समंक प्रस्तुत किया गया है।

#### तालिका क्रमांक – 4 स्वयं सहायता समूह से आसानी से ऋण प्राप्त

क्रमांक	आसानी से ऋण प्राप्त	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	490	89.10
2.	नहीं	060	10.90
	<b>योग</b>	<b>550</b>	<b>100.00</b>

उपर्युक्त तालिका के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 89.10 प्रतिशत हितग्राहियों का कहना है कि सूक्ष्म वित्त योजनाओं के अन्तर्गत आसानी से ऋण प्राप्त हाता है, जबकि 10.90 प्रतिशत हितग्राहियों का मानना है कि योजना के अन्तर्गत आसानी से ऋण प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म वित्त योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयाँ कम होती है।



ग्राफ क्रमांक 4 स्वयं सहायता समूह से आसानी से ऋण प्राप्त

#### हितग्राहियों को ऋण की आवश्यकता :


निर्धन व असहाय परिवारों में अक्सर कई कार्यों के लिए छोटी-छोटी पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, उदाहरण के तौर पर शादी-ब्याह, परिवार में किसीका इलाज, अपने जानवरों का इलाज, पढ़ाई पर खर्च, घर-झोपड़ी की मरम्मत, त्योहार पर खर्च, बीज, खाद, अनाज, इत्यादि। और व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए कभी न कभी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अध्ययन के चयनित हितग्राहियों के ऋण आवश्यकता के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका 5 में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक –5 पारिवारिक कार्य हेतु ऋण

क्रमांक	पारिवारिक कार्य हेतु ऋण लिया	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	498	90.50
2.	नहीं	052	09.50
	योग	550	100.00



उपर्युक्त तालिका के आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि 90.50 प्रतिशत हितग्राहियों ने पारिवारिक कार्य हेतु ऋण लिया है, जबकि 09.5 प्रतिशत हितग्राहियों ने अपने परिवार को चालाने के लिए ऋण की आवश्यकता नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि पारिवारिक कार्य/उत्पादक कार्यों के लिए निर्धन लोगों को ऋण लेने की आवश्यकता होती है।



ग्राफ क्रमांक 5 पारिवारिक कार्य हेतु ऋण

हितग्राही के कर्ज/ऋण के स्रोत : ग्रामीण निर्धन अक्सर अपनी ऋण की जरूरत पूरा करने के लिए औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के पास जाते हैं

अ) औपचारिक क्षेत्र : इस क्षेत्र में बैंक और सहकारी समिति आती है।


ब) अनौपचारिक क्षेत्र : इस क्षेत्र के अंतर्गत साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, व्यापारी, महाजन, इत्यादि आते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के हितग्राहियों की ऋण स्रोत के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं। उन्हें तालिका 6 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक –6 ऋण प्रदाय करने वाली संस्था

क्रमांक	संस्था	संख्या	प्रतिशत
1.	बैंक	424	77.10
2.	एसएचजी	479	87.09
3.	साहूकार	435	79.09
4.	रिश्तेदार	72	13.09
5.	दोस्त	48	08.72
6.	अन्य	-	

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि 77.10 प्रतिशत हितग्राहियों से बैंक से ऋण लिया है, 87.09 प्रतिशत एसएसजी से ऋण लिया, 79.09 प्रतिशत साहूकार से ऋण लिया, 13.09 प्रतिशत से ऋण लिया, रिश्तेदार तथा 8.72 प्रतिशत दोस्त से ऋण लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि चयनित हितग्राहियों ने सबसे अधिक 87.09 प्रतिशत एसएचजी से ऋण लिया है, कारण यह है कि एसएचजी सबसे सुलभ कर्जदाता है। एसएचजी से ऋण लेने के लिए प्रतिभूति रखने की जरूरत नहीं होती है।



ग्राफ क्रमांक – 6 ऋण प्रदाय करने वाली संस्था


हितग्राहियों ने स्वयं सहायता समूह से ऋण लिया : स्वयं सहायता समूह के सदस्य को कई कार्यों के लिए छोटी-छोटी पूँजी की आवश्यकता पड़ती हैं। प्रायः राशि समूह के सदस्य

अपने छोटे-छोटे हाथ खर्च/उपभोग अथवा घरेलू कार्यों के लिए उठाते हैं। समूह गठन के तुरन्त बाद समूह के सदस्यों से बचत राशि एकत्र की जाती है। बचत राशि में से किसी जरूरतमंद सदस्य को छोटा कर्ज दिया जाता है। समूह उस ऋण पर ब्याज राशि लेता है। अध्ययन क्षेत्र के हितग्राहियों की समूह से ऋण के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें तालिका 4.7 में दर्शाया गया है।

**तालिका क्रमांक – 7 स्वयं सहायता समूह से आंतरिक ऋण**

क्रमांक	ऋण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	479	87.10
2.	नहीं	071	12.90
	<b>योग</b>	<b>550</b>	<b>100.00</b>

उपर्युक्त तालिका के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 87.10 प्रतिशत हितग्राहियों ने स्वयं सहायता समूह से आंतरिक ऋण का लाभ उठाया है, जबकि मात्र 12.90 प्रतिशत हितग्राहियों ने स्वयं सहायता समूह से आंतरिक ऋण नहीं लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश हितग्राही उत्पादक कार्यों/गुजारे के लिए समूह से ऋण लेते हैं।




ग्राफ क्रमांक 7 स्वयं सहायता समूह से आंतरिक ऋण

**ऋण का प्रयोजन :** गरीबों को ऋण की आवश्यकता उत्पादक प्रयोजनों हेतु नहीं होती वरन् उसे अपने उपभोग व निर्वाह सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी ऋण की आवश्यकता होती है। निर्धन लोग ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एस.एच.जी से ऋण प्राप्त किया है। न्यादश हितग्राहियों ने दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लिया है। यह ऋण आय सृजन गतिविधियों को शुरू या बढ़ाने के लिए लिया है और उपभोग व निर्वाह सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया है। आय सृजन गतिविधियों के उदाहरण— मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, पापड़ और बड़ी बनाना, आटा चक्की, जनरल स्टोर्स, चाय की दुकान आदि। उपभोग/निवाह संबंधी उदाहरण, बीमारी के इलाज, शिक्षा, विवाह, किसी अन्य विशेष स्थिति में (आपात) ऋण आदि। प्राप्त ऋण का प्रयोजन तालिका 8 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक – 8 स्वयं सहायता समूह से आंतरिक ऋण का प्रयोजन

क्रमांक	प्रयोजन	संख्या	प्रतिशत
1.	आय सृजन गतिविधियों के लिए	318	66.39
2.	उपभोग/निर्वाह के लिए	161	33.61
	<b>योग</b>	<b>479</b>	<b>100.00</b>

उपर्युक्त तालिका के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि 66.39 प्रतिशत हितग्राहियों ने आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण लिया है, जबकि 33.61 प्रतिशत हितग्राहियों ने उपभोग/निर्वाह के लिए ऋण लिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋण लेने का प्रयोजन स्वरोजगार स्थापित कर आय में वृद्धि करते हैं।



## ग्राफ क्रमांक 8 स्वयं सहायता समूह से आंतरिक ऋण का प्रयोजन

### निष्कर्ष

सामाजिक समावे"ान से अभिप्रायउन उपायों एवं प्रावधाना से है जिसके माध्यम से समुदाय के वंचित लोगो को समाज के मुख्य धारा तथा समाज में उनको उनकी पहचान को सभी के समक्ष लाया जा सके जिससे उन्हें किसी प्रकार से वंचना एवं उपेक्षा का "कार न होना पड। व्यापक तौर पर सामाजिक समावे"ान का व्यक्ति की उस मनोवृत्ति एवं प्रयत्ना की सम्पूर्णतासे है जिसके द्वारा समाज के दुर्लभ व साधन विहीन, शक्तिहीन वर्गों के प्रति समाज में एकसकारात्मक चेतना उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम वेबर ने अपने लेखा म समावे"ान को समझाया समाज"ास्त्री फ्रैंक पारकिन न इस शब्द का प्रयोग किया उन्हा "ने बताया कि समावे"ान ऐसी सामाजिक प्रक्रिया हैं, जा असमानता, शोषण, और गरीबी के विरुद्ध ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती हैं, जिससे एक समान व्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। संसार में विभिन्न समाजों में प्रजातीयभेदभाव, संस्थागत विभेद, आर्थिक आधार पर विभेद, स्वास्थ्य आधार पर विभेद, एवं स्थानीयधार्मिक मान्यताओं के कारण जिस समाज में व्यक्ति लम्बे समय से उपेक्षित व वंचिता का जीवन व्यतीत कर रहे उनका सुव्यवस्थित कल्याण एवं आर्थिक रूप में सक्षम बनाना तथा सामाजिक शक्ति को समानता लाना ही सामाजिक समावे"ान हैं। सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्षतः सम्बन्ध सिर्फ सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तनों से है। इसके विपरीत सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों—ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानून, प्रथा, धर्म आदि में होने वाले परिवर्तन से जोड़ा है। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी समाज की संरचना व प्रकार्यों में परिवर्तन का देखा जा सकता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज की परम्परागत मान्यताओं, आदर्शों में हुए परिवर्तन को समझा जा सकता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची



- कमला कृष्णा और रंगा राव, के., (2017)। माथुर में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में नेतृत्व, एम.वी., और अन्य (सं.), पंचायती राज योजना और लोकतंत्र। बॉम्बेरु एशिया पब्लिशिंग हाउस।
- कश्मीरा सिंह चेतांशी, (2015)9। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारीरू नइ दिल्ली। भूख परियोजना। वॉल्यूम 1, 5।
- कुशींद जलाल। (2015)। महिलाओं के लिए महिलाओं में राजनीति में महिलाएं। डेक्का यूनिवर्सिटी प्रोसेस लिमिटेडरू वीमेन फॉर वीमेन रिसर्च एंड स्टडी ग्रुप द्वारा प्रकाशित
- के.के. सिंह और एस. अली, ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों की भूमिका, सरूप एंड संस, नई दिल्ली, 2016
- के शिवरामू, पंचायती राज प्रणाली में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एमडी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017।
- कमल ताओरी, डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू पंचायती राज, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2015।
- लेस्टर डब्ल्यू मिलब्रथ और गोयल, (2017)। राजनीतिक भागीदारीरू लोग कैसे और क्यों राजनीति में शामिल होते हैं। चिकोगोरू रैंड मैकनेली पब्लिशिंग कंपनी।
- लेले, उमा। द डिजाइन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ए लेसन फ्रॉम अमेरिका, जॉन हॉपकिंस, बाल्टीमोर, 2015।
- माणिक्यंबा, पी., (2019). पंचायत राज संरचनाओ में महिलाएं। नई दिल्ली: गांव पब्लिशर्स।
- माथुर। , के.एस., (2017)। भारत में नेतृत्वरू एक केस स्टडी। , विद्यार्थी में, एल.पी., (एड..). बॉम्बेरु एशिया पब्लिशिंग हाउस।



- मिश्रा, ए.के., नावेद अख्तर और अन्य, (2016)। ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (उत्तर प्रदेश का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)रू खंड। सातवीं, नंबर 1।
- मित्तल, के.एम., और विवेक मित्तल (2019)। पंचायत, ग्रामीण उद्यमिता और मूर्ति,
- एम.वी., (एड.) (2016)। सामुदायिक विकास के समाजशास्त्रीय पहलू। वाल्टेयररू आंध्र विश्वविद्यालय।
- एमपी। दुबे और मुन्नी पडलिया, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, अनामिका प्रकाशक और वितरक (पी) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2017